

11/10

प्रजावनी प्रसंग की गई । वादी व प्रतिवादी
अनुपस्थित । अध्यात्म के आदेश दिनांक
27/9 में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं
की गई । प्रजावनी का अवलोकन किया गया
तस्मिन् (राजस्व) अनुपाद के पत्रांक राज
2017/1750 दिनांक 19.12.17 के द्वारा प्रार्थी
रविवार पुनः ज्ञापित जाति प्रेषण


को चक 59 जी.बी.मु. न. 67 प. नं. 67 239/449
 कि. नं. 25 हेतु रकबाराज में से रास्ता स्वीकृत
 करने हेतु राजस्थान उपनिवेश (सामान्य उपनिवेश)
 शर्तें, 1955 की शर्त संख्या 8(2) के तहत निर्धारित
 प्रपत्र में आवेदन कर निवेदन प्रस्तुत किया है।
 यदि उक्त मामले का गुणावगुण पर भी विनिश्चय
 किया जावे तो उक्त शर्तों की शर्त संख्या 8(2)
 में कहीं भी अंकित नहीं है कि किसी अनुदानग्रहिता
 को रकबाराज में से रास्ता स्वीकृत किया जा
 सकता है। शर्त संख्या 8(2) में मात्र यह अंकित है
 कि किसी अनुदानग्रहिता की भूमि में से किसी
 व्यक्ति/व्यक्तियों/आम जनता/सरकार के रास्ते
 के अधिकार को उत्पन्न करने अथवा आरक्षित करने
 का अधिकार कलक्टर के पास है एवं उक्त कार्य
 हेतु अर्वाप्त/आरक्षित किए हुए किसी क्षेत्र के
 लिए अनुदानग्रहिता अथवा अन्य किसी व्यक्ति को
 कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

चूंकि नती वादी एवं प्रतिवादी न्यायालय
 के समक्ष उपसजात है और नहीं (सामान्य उपनिवेश)
 शर्तें, 1955 की शर्त 8(2) के तहत रकबाराज में से
 भूमि आरक्षित/अर्वाप्त कर रास्ता स्वीकृत करने
 का प्रावधान है। अतः प्रार्थी खेताराम पुत्र जीयाराम
 के राजस्व (गुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार के
 परिपत्र क्रमांक: प. 3(52) राज-6/12/4 दिनांक
 14.6.13 के प्रावधानों के तहत अपनी भूमि के लिए
 राजकीय भूमि से रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु
 न्यायालय हाजा के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत
 करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए सि. प्र. सं.,
 1908 की ~~धारा~~ आदेश 9 नियम 3 के तहत तथा
 आवेदन सुसंगत कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत
 नहीं होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया
 जाता है। पत्रावली फैसल नुमांर होकर बाद तक मील

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जारी तामिल कर
नम्बर/दिनांक

न्यायालय में सुनाया गया।


11.10.19